


आदेश

आरक्षी 112674120 अमित कुमार तोमर के राजकीय कार्य में ड्यूटीरत रहते हुए एकसीडेंट होने के कारण गम्भीर रूप से घायल होने तथा 70 प्रतिशत विकलांग होने के दृष्टिगत चिकित्सकीय आधार पर विशेष परिस्थितियों में इन्हें अनुकम्पा के आधार पर निजी व्यय पर जनपद सहारनपुर से जनपद शामली एक वर्ष के लिए स्थानान्तरित किया जाता है। जनपद शामली में आगमन की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त इन्हें जनपद सहारनपुर हेतु बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये खाना कर दिया जायेगा।

यह आदेश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त-सूची संख्या-एएसपी(ई-1)- (जनरल)-299/2020 दिनांक: 30-12-2020 में लिये गये निर्णय के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW
1
DC-IV-STHA-299/2020 OTD 30-12-2020


(राहुल मिश्र)

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:-डीजी-चार-स्था0-(299)/2020/435 दिनांक: दिसम्बर 30 ,2020

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को तत्काल कार्यमुक्त कर प्रस्थान कराते हुए प्रस्थान कराने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- पुलिस अधीक्षक, जनपद शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा आगमन की तिथि से एक वर्ष के उपरान्त इन्हें जनपद सहारनपुर हेतु बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये खाना कर दिया जाये।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ को उनके पत्र संख्या: एमजैड-एचसी-10-2020/13244 दिनांक 09.11.2020 के क्रम में।